Regarding reported closure of schools in Uttar Pradesh

श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल **(**फतेहपुर**) :** सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक गंभीर, संवेदनशील और जनविरोधी निर्णय की ओर खींचना चाहता हूँ । उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों को कम छात्र संख्या के आधार पर जोड़ा जा रहा है, बंद किया जा रहा है तथा बच्चों से शिक्षा छीनी जा रही है । सरकार एक तरफ शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बताती है, दूसरी तरफ गांव के स्कूलों को मर्ज करके, बच्चों को 2-3 किलोमीटर दूर भेजने की साजिश कर रही है । क्या यही "नया भारत" है जहाँ शराब के ठेके गांव-गांव खोले जा रहे हैं लेकिन स्कूलों को गांव से हटाया जा रहा है?

मान्यवर, शराब की दुकानें पास और स्कूल दूर, यही है क्या आपकी प्राथमिकता? आरटीई एक्ट, 2009 साफ कहता है कि हर बच्चे के घर के एक किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए, लेकिन आज उसे तोड़ा जा रहा है । यह मर्जर नीति गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और बेटियों की शिक्षा को सीधा चोट पहुँचाने वाली है । बेटियाँ कैसे दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर दूर स्कूलों में कैसे जाएंगी? गरीब का बच्चा कैसे अपना गांव छोड़ेगा और दूसरे गांव में पढ़ने के लिए कैसे जाएगा? यह नीति ड्रॉपआउट्स को बढ़ाएगी, बाल मजदूरी को जन्म देगी और संविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा के अधिकार को रौंदेगी ।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि 16 जून, 2025 का आदेश तत्काल वापस लिया जाए । दूसरा, किसी भी परिषदीय विद्यालय को मर्ज या बंद न किया जाए । तीसरा, विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक और प्रधानाध्यापक की तैनाती हो । चौथा, शिक्षकों से गैर-शैक्षणिक कार्य न लेकर केवल पढ़ाने दिया जाए ।

सभापति महोदया, आज जब सरकार "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" का नारा देती है, उसी बेटी को स्कूल से दूर भेजने की नीति बनाना एक गंभीर विडंबना है ।

महोदया, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस विषय पर संसद में गंभीरता से विचार किया जाए और हर बच्चे को उसके गांव में शिक्षा का अधिकार दिलाया जाए ।